भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 795
29 नवंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार नियोजन कार्यक्रम

795. श्री भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान आज की तिथि तक देश के ग्रामीण लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए देश में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वित किए जा रहे परिवार नियोजन कार्यक्रमों और किए गए व्यय का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार /वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) उक्त अवधि के दौरान जन्म दर को कम करने में हुई प्रगति/उपलब्धि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
(ग) उक्त अवधि के दौरान सरकार द्वारा परिवार नियोजन कार्यक्रमों के विज्ञापन के लिए वर्ष-वार कितनी धनराशि खर्च की गई?

<u>उत्तर</u>
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ग) सरकार ग्रामीण क्षेत्रों सहित पूरे देश में परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित कर रही है। विवरण निम्नानुसार है-

i. **विस्तारित गर्भनिरोधक विकल्प,** जिसमें कंडोम, कम्बाइंड ओरल गर्भनिरोधक गोलियाँ, आकस्मिक स्थिति में गर्भनिरोधक गोलियाँ, अंतर्गर्भाशयी गर्भनिरोधक उपकरण (आईयूसीडी) और नसबंदी शामिल हैं, लाभार्थियों को प्रदान किए जाते हैं। गर्भनिरोधक समूह को नए गर्भनिरोधकों, नामतः इंजेक्टेबल गर्भनिरोधक एमपीए (अंतरा कार्यक्रम) और सेंट्रोमैन (छाया) के साथ विस्तारित किया गया है।

ii. **मिशन परिवार विकास** को गर्भनिरोधक और परिवार नियोजन सेवाओं की पहुँच बढ़ाने के लिए तेरह राज्यों में लागू किया गया है।

iii. **नसबंदी स्वीकार्यताओं के लिए मुआवजा योजना,** लाभार्थियों को उनके वेतन के नुकसान को पूरा करने के लिए प्रदान किया जाता है।

iv. **प्रसवोत्तर अंतर्गर्भाशयी गर्भनिरोधक** उपकरण (पीपीआईयूसीडी), गर्भपातोत्तर अंतर्गर्भाशयी गर्भनिरोधक उपकरण (पीएआईयूसीडी) और प्रसवोत्तर नसबंदी (पीपीएस) के रूप में गर्भावस्था के बाद गर्भनिरोधक लाभार्थियों को प्रदान किया जाता है।

v. सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में परिवार नियोजन और सेवा वितरण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष **'विश्व जनसंख्या दिवस अभियान'** और **'पुरुष नसबंदी पखवाड़ा'** मनाया जाता है।

vi. **गर्भनिरोधकों की होम डिलीवरी योजना,** आशाकर्मियों द्वारा लाभार्थियों के घर तक गर्भनिरोधक वितरित किए जाते हैं।

vii. स्वास्थ्य सुविधाओं के सभी स्तरों पर परिवार नियोजन वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए **परिवार नियोजन रसद प्रबंधन सूचना प्रणाली (एफपी-एलएमआईएस)** लागू है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान विज्ञापन सहित परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) के तहत अनुमोदित बजट, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार, वर्ष-वार अनुलग्नक-**I** में दिया गया है।

(ख): भारत और बड़े राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए वर्ष 2018 से 2020 के लिए **नमूना पंजीकरण प्रणाली (एसआरएस)** के अनुसार अशोधित जन्म दर का ब्यौरा अनुलग्नक **II** में दिया गया है।

दिनांक 29.11.2024 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 795 के भाग (क) और (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

अनुलग्नक I

वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक एनएचएम के अंतर्गत परिवार नियोजन के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार एसपीआईपी व्यय

लाख रुपये में

		2021-22	2022-23	2023-24
क्रम सं.	राज्य	व्यय	व्यय	व्यय
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	3.35	4.47	7.04
2	आंध्र प्रदेश	1,408.43	1,037.57	1,688.67
3	अरुणाचल प्रदेश	92.12	362.08	135.08
4	असम	2,549.95	3,095.79	4,127.93
5	बिहार	12,465.25	15,644.36	15,701.27
6	चंडीगढ़	10.14	7.27	20.63
7	छत्तीसगढ़	2,600.64	4,463.63	2,856.12
8	डीएनएच और डीडी	7.98	9.27	3.71
9	दिल्ली	137.24	229.48	165.62
10	गोवा	4.38	12.71	48.35
11	गुजरात	6,079.83	6,320.94	9,373.80
12	हरियाणा	2,376.84	1,794.38	1,462.48
१३	हिमाचल प्रदेश	94.53	155.17	118.68
14	जम्मू और कश्मीर	124.45	70.99	32.28
15	झारखंड	3,057.30	7,629.22	7,442.73
16	कर्नाटक	1,760.84	1,648.90	1,122.62
17	केरल	282.41	316.32	130.73
18	लद्दाख	4.90	71.11	21.38
19	लक्षद्वीप	0.48	0.49	1.31
20	मध्य प्रदेश	11,318.73	13,623.72	14,302.78
21	महाराष्ट्र	2,451.53	2,779.72	3,159.78
22	मणिपुर	39.74	74.32	45.91
23	मेघालय	39.81	174.34	142.43
24	मिजोरम	40.95	59.02	55.98
25	नागालैंड	56.03	132.64	237.92
26	उड़ीसा	3,471.16	4,145.21	4,305.70
27	पुदुचेरी	29.71	29.34	11.65
28	पंजाब	193.81	296.83	998.67
29	राजस्थान	8,893.56	10,144.50	9,902.60
30	सिक्किम	5.09	23.02	11.09
३१	तमिलनाडु	810.74	4,097.34	2,363.45
32	तेलंगाना	990.46	357.17	202.07
33	त्रिपुरा	146.89	193.33	269.41
34	उत्तर प्रदेश	8,563.74	15,628.16	18,267.04
35	उत्तराखंड	310.45	331.38	415.11
36	पश्चिम बंगाल	2,296.91	2,789.36	2,622.80

नोट: 1. उपरोक्त आंकड़े राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत वित्तीय प्रबंधन रिपोर्ट (एफएमआर) के अनुसार हैं और अनंतिम हैं।
2. व्यय में केंद्रीय निर्गत, राज्य निर्गत और वर्ष की शुरुआत में अव्ययित शेष राशि के लिए व्यय शामिल है। व्यय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत एफएमआर के अनुसार है। व्यय दिनांक 31.03.2024 तक अद्यतन है और अनंतिम है।

दिनांक 29.11.2024 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 795 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

अनुलग्नक II

तीन वर्ष 2018-2020 के दौरान जन्म दर में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार गिरावट (एसआरएस)									
भारत एवं बड़े राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल			ग्रामीण			शहरी		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
भारत	20.0	19.7	19.5	21.6	21.4	21.1	16.7	16.4	16.1
आंध्र प्रदेश	16.0	15.9	15.7	16.4	16.2	16.0	15.3	15.2	15.0
असम	21.1	21.0	20.8	22.2	22.1	21.9	14.6	14.5	14.3
बिहार	26.2	25.8	25.5	26.8	26.5	26.2	21.9	21.2	21.0
छत्तीसगढ़	22.5	22.2	22.0	24.0	23.6	23.4	17.8	17.6	17.3
दिल्ली	14.7	14.4	14.2	16.2	15.8	15.5	14.7	14.4	14.1
गुजरात	19.7	19.5	19.3	21.6	21.3	21.1	17.4	17.3	17.1
हरियाणा	20.3	20.1	19.9	21.7	21.4	21.2	18.0	17.9	17.7
हिमाचल प्रदेश	15.7	15.4	15.3	16.2	15.9	15.7	10.3	10.1	10.0
जम्मू और कश्मीर	15.4	14.9	14.6	17.0	16.5	16.1	11.7	11.3	11.1
झारखंड	22.6	22.3	22.0	24.0	23.7	23.4	18.1	17.8	17.6
कर्नाटक	17.2	16.9	16.5	18.1	17.8	17.5	15.9	15.5	15.0
केरल	13.9	13.5	13.2	13.8	13.4	13.1	14.0	13.7	13.3
मध्य प्रदेश	24.6	24.5	24.1	26.6	26.4	26.0	19.1	19.0	18.8
महाराष्ट्र	15.6	15.3	15.0	15.9	15.6	15.3	15.2	15.0	14.6
ओडिशा	18.2	18.0	17.7	19.2	19.0	18.7	13.4	13.2	13.1
पंजाब	14.8	14.5	14.3	15.3	15	14.9	14	13.8	13.6
राजस्थान	24.0	23.7	23.5	24.9	24.7	24.4	21.3	21.1	20.8
तमिलनाडु	14.7	14.2	13.8	14.8	14.3	14.0	14.6	14.0	13.6
तेलंगाना	16.9	16.7	16.4	17.2	17.0	16.8	16.5	16.1	15.9
उत्तर प्रदेश	25.6	25.4	25.1	26.6	26.4	26.1	22.5	22.3	22.1
उत्तराखंड	16.7	17.1	16.6	16.8	17.5	17.0	16.4	16.1	15.6
पश्चिम बंगाल	15.0	14.9	14.6	16.5	16.4	16.1	11.5	11.5	11.2

*****